



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 श्रावण, 1947 (श०)

संख्या - 375 राँची, सोमवार,

28 जुलाई, 2025 (ई०)

प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

4 जुलाई, 2025

संख्या-3/आरोप-11-41/2024-31703 (HRMS)--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री संजय कुमार सिंह झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-434/20, 2nd Limited Batch), तत्कालीन अंचल अधिकारी, बरही हजारीबाग के विरुद्ध कनीय कर्मियों के द्वारा समर्पित भूमि जाँच प्रतिवेदन भेजने के पूर्व राजस्व अभिलेखों की जाँच एवं सत्यापन नहीं करने, NH-33 के अधिग्रहित खाता संख्या-749, प्लॉट संख्या-7209, रकवा- 0.20 एकड़ के मुआवजा भुगतान हेतु दिये गये गलत भूमि जाँच प्रतिवेदन के कारण सरकार को मो0 75,82,789/- (पचहतर लाख बेरासी हजार सात सौ नवासी) रू० राजस्व की क्षति होने संबंधी आरोप, जैसा कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2820, दिनांक 29.08.2024 के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-583, दिनांक 17.05.2023 द्वारा गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2. श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोप पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

3. अतः श्री सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

4. तदनुसार एतद् द्वारा श्री सिंह को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

5. श्री सिंह द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री कमल जॉन लकड़ा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, हजारीबाग को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

7. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री संजय कुमार सिंह, झा०प्र०से० एवं श्री कमल जॉन लकड़ा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SANJAY KUMAR SINGH JHK/JAS/261	श्री संजय कुमार सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-434/20, 2nd Limited Batch), तत्कालीन अंचल अधिकारी, बरही हजारीबाग के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
